

कार्यालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)**--:विविध आदेश:-****(संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2026)****कमांक-108 / सी.जे.एम. / 2026****सीधी, दिनांक-09.02.2026**

मैं सुनीता रावत, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2026 हेतु तहसील मझौली में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर, क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित करती हूँ, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरांत से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा:-

क.	मजिस्ट्रेट का नाम/पद	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका विवरण होगा
C-I	C-II	C-III	C-IV
1.	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली, जिला सीधी, म.प्र.	थाना- मझौली एवं मड़वास	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, विविध आपराधिक मामले, परिवाद, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जो कि कॉलम कमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय योग्य न हो, का निराकरण। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम कमांक-C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन0डी0पी0एस एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम कमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण। 5. कॉलम कमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को

(2)

			छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले) 7. वन मण्डल सामान्य सीधी के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझौली से उत्पन्न मामले का विचारण। 8. संजय टाईगर रिजर्व सीधी के अंतर्गत बफर एवं कोर क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामले। 9. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीडित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से सम्बद्ध। 10. कॉलम क्रमांक-C-III अंतर्गत में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार अंतर्गत से उत्पन्न पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन प्रस्तुत परिवाद 11. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 12. थाना मझौली, थाना मड़वास, थाना कुसमी एवं थाना भुईमाड़ के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं खनिज अधिनियम के समस्त मामलों का निराकरण करना। 13. थाना मझौली एवं मड़वास के अंतर्गत आबकारी से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। 14. रिक्त न्यायालय या ऐसे प्रकरण जिनके पूर्ववर्ती न्यायालय ज्ञात नहीं हो रहे हैं, में जारी किये गये गिरफ्तारी वारण्ट एवं बिना म्यादी वारण्ट तथा माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप0 प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही करना। 15. कॉलम क्रमांक-C-III में अंकित थाना क्षेत्र थाना मझौली, थाना मड़वास, थाना कुसमी, थाना भुईमाड़ एवं आबकारी वृत्त में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-196 के अधीन मृत्यु जांच। 16. उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक मामले एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से सम्बद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) खात्मा प्रतिवेदन। 17. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
--	--	--	---

2.	सुश्री रुचि परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली, जिला सीधी, (म.प्र.)	1. थाना कुसमी 2. थाना भुईमाड़	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, म.प्र., विविध आपराधिक मामले, परिवाद, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जो कि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय योग्य न हो। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम क्रमांक— C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन0डी0पी0एस एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम क्रमांक— C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण। 5. कॉलम क्रमांक—C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 6. कॉलम क्रमांक—C-III अंतर्गत में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र कुसमी एवं भुईमाड़ के क्षेत्राधिकार अंतर्गत से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अधीन परिवाद/मामले 7. 13. थाना कुसमी, भुईमाड़ के अंतर्गत आबकारी से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित मामले। 8. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 9. कॉलम क्रमांक—C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 10. आरक्षी केन्द्र कुसमी एवं भुईमाड़ से उत्पन्न आपराधिक मामले एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) खात्मा प्रतिवेदन। 11. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
----	---	--	---

(4)

3.	सुश्री रूचि परते, ग्राम न्यायाधिकारी मझौली, जिला सीधी म.प्र.	राजस्व तहसील, मझौली के अंतर्गत आने वाले ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण	1. राजस्व तहसील मझौली के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 12 की अनुसूची क्रमांक 1 के भाग 1 एवं भाग 2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित मामले। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत धारा-144 एवं 146 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्र तथा उनके संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामले। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां। 4. तहसील मुख्यालय मझौली के समस्त आरक्षी केन्द्रों का संपूर्ण थाना क्षेत्रों के अंतर्गत समस्त अभियोग पत्र खात्मा, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और उससे उद्भूत आपराधिक मामले।
----	--	--	---

नोट:-

(1)- जिला मुख्यालय सीधी अंतर्गत रिक्त न्यायालय के द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट एवं बिना म्यादी वारंट तथा माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप0 प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही मुख्यालय में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट उनको कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार आर्बिट्रि आरक्षी केन्द्र के अनुसार कार्यों का निष्पादन करेंगे।

(2)- जिला मुख्यालय सीधी अंतर्गत स्थित पूर्ववर्ती न्यायालय के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट एवं बेम्यादी वारंट तथा माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप0 प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही उन न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी जो पूर्ववर्ती न्यायालय के स्थान पर पदस्थ हैं तथा ऐसे न्यायालय जिनके पूर्ववर्ती न्यायालय ज्ञात नहीं हो रहे हैं, उक्त दशा में उपरोक्त सभी कार्यवाहियां श्री कपिलदेव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के द्वारा संपादित की जायेंगी।

(3)- उपरोक्त कार्य वितरण आदेश के अतिरिक्त अन्य आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी, जिला-सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामलों का विचारण भी संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा।

(4)- किसी न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण से संबंधित अन्य उद्भूत विविध कार्यवाही एवं प्रकरण उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहेंगे।

(5)- सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के खात्मा (एफ.आर.) की कार्यवाही का विधि अनुसार निराकरण करेंगे।

(6)- जिन स्थानों पर ग्राम न्यायालय की स्थापना होकर न्यायाधिकारी की

पदस्थापना है, तब उनकी अनन्य आधिकारिता व सुनवाई योग्य प्रकरण अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण/संस्थित नहीं किए जावेंगे।

(7)– यदि उपरोक्त कार्य विभाजन में किसी आपराधिक प्रकरण के निराकरण के संबंध में उल्लेख न हो तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के निराकरण योग्य माना जाएगा।

(8)– किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उसके उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट पर भी कार्य विभाजन आदेश यथावत लागू होगा।

(9)– किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने से प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यक आपराधिक कार्य अभियोग पत्र ग्रहण करना, जमानत आवेदन पत्र और सुपुर्दनामा संबंधित आवेदन पत्र का निराकरण करना, पुलिस/न्यायिक रिमाण्ड कार्यवाही करना, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना आदि तथा आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्ध का अभिवाक् करता है तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्ति है तो वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे व ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।

(10)– उपरोक्त कार्य विभाजन में उल्लेखित पुलिस थानों से आशय उसके अधीन पुलिस चौकी से भी है।

(11)– किसी न्यायालय में पूर्व से लंबित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

(12)– किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के दौरान उनके न्यायालय के अण्डर ट्रायल, या पांच वर्ष या अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधान अधिकारी/चिकित्सा साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यन्त कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधा जनक होने की स्थिति में ऐसे साक्षियों की साक्ष्य जिसकी पुनः उपस्थिति कठिन है, की साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु प्रभारी मजिस्ट्रेट को साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु अंतरित किये गये समझे जावेंगे।

(13)– माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।

(14)– आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राईविंग लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों के सत्यापित छायाप्रतियां सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावेगी।

(15)– लंबित रिमाण्ड पेपर से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जावेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।

(सुनीता रावत)

प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

—::परिशिष्ट—अ::—

तहसील मुख्यालय मझौली में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से बाहर रहने एवं स्थानांतरण होने की दशा में निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके न्यायालय एवं अधिकार क्षेत्र का आवश्यक कार्य निष्पादित करेंगे।

// आवश्यक प्रभार //

1	2	3	4	5
क0	पीठासीन अधिकारी	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1.	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री रुचि परते J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	श्री अभिषेक साहू J.M.F.C.,Sidhi
2.	सुश्री रुचि परते J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	श्री कपिल देव काछी J.M.F.C.,Sidhi	श्री मृदुल लटौरिया J.M.F.C.,Sidhi

नोट:— उपरोक्त कॉलम नंबर-3, 4 एवं 5 नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नंबर 2 में दर्शित मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य (प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(सुनीता रावत)

प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

--परिशिष्ट-ब--

इस सारणी में दर्शाये गये पद क्रमांक-2 के मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों का निराकरण एवं कथनों का अभिलेखन कॉलम नंबर 3 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा कॉलम नंबर 3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नंबर 4 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नंबर 4 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नंबर 5 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट और कॉलम नंबर 5 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सीधी मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट (प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) द्वारा किया जायेगा।

कॉलम नं-1	कॉलम नं-2	कॉलम नं-3	कॉलम नं-4	कॉलम नं-5
1	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री रुचि परते J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री सुनीता रावत J.M.F.C.,Sidhi	श्री मृदुल लटौरिया J.M.F.C.,Sidhi
2	सुश्री रुचि परते J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री सुनीता रावत J.M.F.C.,Sidhi

नोट:-

(1)- सम्पूर्ण सीधी जिले के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी जिला सीधी, (म.प्र.) द्वारा लेखबद्ध किए जावेंगे। पॉस्को एक्ट से उत्पन्न धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन, तहसील मुख्यालय मझौली में सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली, जिला सीधी म.प्र. द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट "ब" के अनुसार कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(सुनीता रावत)

प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

—::परिशिष्ट—स::—

धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन संस्वीकृतियां जहां-जहां शब्द अभियोक्त्री/पीड़ित (महिला उत्पीड़न से संबंधित) के कथन अंकित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है:-

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	1. आरक्षी केन्द्र कुसमी एवं भुईमाड़
2	सुश्री रुचि परते J.M.F.C.,Majhouli	1. आरक्षी केन्द्र मझौली एवं मड़वास

—::परिशिष्ट—द::—

इस सारणी में तहसील मुख्यालय मझौली में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में परिशिष्ट “स” के अनुसार कार्य का सम्पादन हेतु उनके नाम के समक्ष (क्रम में) मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे।

अनु क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.2 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.2 व 3 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.2, 3, 4 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)
1	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री रुचि परते J.M.F.C.,Majh ouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री सुनीता रावत J.M.F.C.,Sidhi
2	सुश्री रुचि परते J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री सुनीता रावत J.M.F.C.,Sidhi

// आवश्यक नोट //

(1)– उपरोक्त कार्यविभाजन के अतिरिक्त शेष के संबंध में पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन पत्रक यथावत् लागू रहेगा।

(2)– किसी भी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पूर्व से लंबित मामले को अंतिम रूप से निराकरण कराना, आवश्यक कार्य में नहीं आयेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन आवश्यक कार्यों के संपादन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्राधिकृत किए जाने की स्थिति में ऐसे प्राधिकृत द्वारा विशिष्ट रूप से:-

(i) धारा-187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत

रिमाण्ड आवेदन पत्र।

(ii) जमानत संबंधी आवेदन पत्र।

(iii) उसी दिन प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड आवेदन पत्रों के अपराध में जप्त की गई सम्पत्ति को सुपुर्दगी में दिए जाने वाले आवेदन पत्र की सुनवाई की जाकर निराकृत कराना होगा, किन्तु अवकाश के दिन, पूर्व से लंबित आपराधिक प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय से आहूत किए जाने का आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3)– आवश्यक प्रभार के कॉलम-02 में अंकित प्रत्येक न्यायिक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने अवकाश पर जाने अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में कॉलम क्रमांक-03 में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को तथा उसकी अनुपस्थिति की दशा में कॉलम क्रमांक-04 के न्यायिक अधिकारी को अथवा दोनों के अनुपस्थिति की दशा में कॉलम क्रमांक-05 के न्यायिक अधिकारी को अपनी अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की सूचना, लिखित रूप से प्रदान करेगा।

(4)– यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में प्रभावी रहेगा।

(5)– राजस्व तहसील, सीधी के क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त भरण पोषण के प्रकरणों (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सीधी को अधिकारिता होने से, उक्त प्रकरणों का विचारण/सुनवाई किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जायेगा।

(6)– मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16-1 व 2 के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण में सम्मिलित नहीं माना जायेगा और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सीधी, ग्राम न्यायालय मझौली द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जायेंगे।

(7)– ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सीधी के अनुपलब्धता/रिक्त होने की स्थिति में एवं ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मझौली की अनुपलब्धता/रिक्त होने की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार आपराधिक मामलों का कार्य सम्पादित करेंगे।

—:: सामान्य निर्देश::—

(1) न्यायिक कार्य करते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा उन्हें कॉलम नंबर 3 (आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप क्षेत्राधिकार) में प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अनुरूप ऐसे प्रकरणों को छोड़कर ही न्यायिक कार्य किया जावे, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी को है एवं कार्य विभाजन पत्रक में क्षेत्राधिकारिता से संबंधित कोई भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य

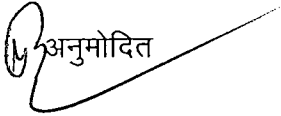
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम होगा।

(2) यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण उसे उनका पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवस्था के अंतर्गत निर्दिष्ट किये गये मजिस्ट्रेट का नाम स्वतः ही पदस्थापित माना जायेगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी की ओर से उक्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।


(सुनीता रावत)

प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)


अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी
जिला-सीधी म.प्र.

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक /

सीधी, दिनांक

प्रतिलिपि (ई-मेल/व्हाट्सप/व्हाट्सप ग्रुप) :-

- 1- निज सहायक माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय सीधी, (म.प्र.)
2. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)
- 3- माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)
- 4- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय, सीधी (म.प्र.)
- 5- माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी
- 6- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)
- 7- सुश्री सुनीता रावत/श्री सोनू जैन/श्री कपिल देव काछी/सुश्री सरिता चौधरी/श्री मृदुल लटौरिया/श्री अभिषेक साहू/श्री लालता सिंह/सुश्री वर्षा भलावी/सुश्री विजया विश्वकर्मा/श्री राहुल त्रिपाठी/श्री परमानंद सनोडिया/श्री अरहम खान/सुश्री शिवांगी सिंह परिहार/सुश्री रुचि परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी/चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8- अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन,
- 9- कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी सीधी, जिला सीधी म.प्र.
10. कार्यालय आबकारी अधिकारी सीधी, जिला सीधी, म.प्र.,
11. कार्यालय वन विभाग सीधी, जिला सीधी म.प्र.,
12. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी म.प्र.
- 13- पुलिस आरक्षी केन्द्र कोतवाली/जमोड़ी/अमिलिया/बहरी/चुरहट/सेमरिया/कमर्जी/रामपुरनैकिन/मझौली/मड़वास/कुसमी/भुइमाड़ जिला सीधी, म.प्र.,
- 14- सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम ऑफीसर सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) की ओर ई-मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 —————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनीता रावत)

प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)

